

फर्द अहकाम

(नियम 20)

(राजस्व)

अज अदालत

मुकाम

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम विरेंद्र पाल सिंह हल्का 6678
 किस्म मुकदमा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि सं. 112 सन् 2020 अधिनियम 1954

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये
09-09-2020	<p style="text-align: center;">रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि</p> <p>अप्रार्थी श्री <u>विरेंद्र पाल सिंह</u> पुत्र श्री <u>खलकार सिंह</u> जाति <u>जहसिया</u> साकिन <u>12PS</u> ने चक <u>12PS</u> के मु.नं. <u>3</u> कि.नं. <u>2 ता 25</u> में कुल <u>5.817</u> हैक्टर/बीघा राजकीय भूमि पर सम्बत् <u>2077 (खरीद)</u> में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध नाजायज काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील मे लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक <u>24-09-2020</u> को पेश हो</p>	
24-09-2020	<p>पत्रावली पेश में ली गई, अप्रार्थी उपस्थित, कोई लिखित जवाब पेश नहीं, इसके निरु शय रकबा को नाजायज काश्त करना कबूल किया। निर्णय अलग ले लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय अदालत I.L.R / पटवारी हल्का में लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

Baldev Singh

